पत्र संख्या / एफ0टी0 48–4093 / 2020 (एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लॉगवुड, शिमला,
हिमाचल प्रदेश–171001

दिनांक शिमला–1 12 APR 2022

विषयः **Diversion of 4.6497 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Nagali to Sanjap (Kms. 0/00 to 8/750), within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh. (Online No. FP/HP/Road/44346/2020)**

महोदय,

पृ0 सं0 24-26/

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/HP/06/65/2021/FC/115 दिनांक 18/08/2021 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने परिभ्रांषित वन भूमि पर अर्थात 9.3 है0 SANJAP DPF, Dalhousie Forest Range, Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की की एकल प्लांटेशन से बचा जाए। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर भी सहमति जताई है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान में शामिल किया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्यः

क) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है।

ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा, प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

6. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्ति किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए0 के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरांत ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या को बढाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 4 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें।प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की गई है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

12. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण लागत एव आकस्मिक शुल्क और शुद्ध वर्तमान मूल्य (CA=Rs. 2,078,820/- +NPV= Rs. 30,54,853/-= Total.=Rs, 51,33,673/-) की राशि Adhoc-CAMPA मे जमा किये गए है। इस आश्य की प्रतिलिपि संल्गित है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा। इस आश्य की प्रतिलिपि संल्गित है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि CWLW से Eco-Sensitive क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।
15. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।
16. वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता सल्गित है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पित ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत्र से पर्याप्तः लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forwad/Backward bearings अंकित हो। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।
20. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।
21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

22. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलिगत है।

23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलिगत है।

24. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आष्य पर अपनी सहमति जताई है कि यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी रहेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलिगत है।

25. अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इस आश्य की वचन बद्धता संलिगत है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्त

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्या0 एफ0 टी0 48–4093/2020(एफ0सी0ए0) दिनांक शिमला–1
12 APR 2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1 मुख्य अरण्यपाल चम्बा, के पत्र सं0 9590 दिनांक 22.03.2022 के सन्र्दभ में।

2 Executive Engineer, HPPWD Division Dalhousie, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हि0प्र0।

12.04.2022